तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/5/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/5/25 को पेश हो।	
29/5/25	पत्रावली पेश हुई। आवे० प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज किये है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। उपखंड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांक:— 09/2024

1. किशोरी लाल
2. कमल सिंह
3. सुवरन सिंह पुत्रान श्यामलाल जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन। ....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग भरतपुर। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांक:—29.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त 557/0.10, 556/0.12, 558/0.01, 559/0.20 बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 557 का साविक नम्बर 462 एवं हाल 556 का साविक नम्बर 461 तथा हाल खसरा नम्बर 558,559 का साविक नम्बर 463 था चुकिं खसरा नम्बर साविक 461,462,463 का पहले मौके पर एक ही खसरा नम्बर था तथा उक्त खसरा नम्बरान का हम खातेदारान ने आपस में मनवट के आधार पर बंटबारा कर रखा था तथा मुताबिक बंटवारे के हम सभी सहखातेदारान ने अपने अपने मकान बंना रखे है। उक्त आराजी को लेकर हम प्रार्थी एवं करई वगै0 के मध्य मुकदमेबाजी चली तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की कई बार पैमाईश हुई एवं पैमाईश के मुताबिक अप्रार्थी से साबिक खसरा नम्बर 463 में कोई बोर नहीं था। हल्का पटवारी द्वारा कई बार पैमाईश कर उक्त बोर को गैर मुमकिन रास्ते में बताया दिनांक 12.01.2017 में हल्का पटवारी ने अपनी पैमाईश रिपोर्ट में यह साफ दर्ज किया बोर खसरा नम्बर साविक 463 में ना होकर खसरा नम्बर साविक 464 गैर मुमकिन रास्ते में है। इसी प्रकार पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 13.12.2021 में उक्त बोर को अप्रार्थी के खसरा नम्बर 463 में ना बता कर पूर्व रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 464 गैर मुमकिन रास्ते में बताया है। लेकिन दौराने सैटलमेंन्ट उक्त साविक खसरा नम्बर 463 के नया खसरा नम्बर 558, 559 बनाये तथा खसरा नम्बर 558 गैर मुमकिन बोरिंग खिलाफ मौका एवं कानून के बनाया गया जबकि खसरा नम्बर 558 का साविक नम्बर 463 का हिस्सा दिखाया गया है जबकि दिनांक 12.01.2017 एवं दिनांक 13.12.2017 में अपनी पैमाइश रिपोर्ट एवं मौका पर्चा में गैर मुमकिन बोरिंग को खसरा नम्बर 464 का हिस्सा मानते हुये उक्त बोर से कृषि विधुत कनैक्शन को काटा गया था। दौराने सैटलमेन्ट जो बोरिंग खसरा नम्बर 464 में है उसे 463 साविक हाल 558 में दिखाया गया है जिससे मुझ प्रार्थी के पूर्व में चले आ रहे बादपत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिसकी दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। गैर मुमकिन बोरिंग को पूर्व के अनुसार साविक नम्बर 464 गैर मुमकिन रास्ते में दर्शा कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 556, 557, 558, 559 जिसका पुराना खसरा नम्बर कमशः 461, 462, 463 है, में से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाया गया है। हाल खसरा नम्बर 558 रकवा 0.10है0 (गै.मु.बोरिंग), खसरा नम्बर 559 रकवा 0.20है0, खसरा नम्बर 463 था, पुराने नक्शा लट्टा में ख.नं. 463 में कोई भी बोरिंग अंकित नहीं किया गया है जबकि नये नक्शा शीट में ख.नं. 559 रकवा 0.20है. में ख.नं. 558 रकवा 0.10है0 किस्म गै.मु.बोरिंग दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में भी हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमें गै.मु.बोरिंग को नया खसरा नम्बर 1238/562 (पुराना ख.नं. 464) किस्म गै.मु.रास्ता होना बताया गया था। वर्तमान में मौके पर ख.नं. 558 रकवा 0.01है0 किस्म गै.मु.बोरिंग नया ख.नं. 1238/562 (पुराना ख.नं. 464) किस्म गै.मु.रास्ता में चालू है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये गैर मुमकिन बोरिंग को पूर्व के अनुसार साविक नम्बर 464 गैर मुमकिन रास्ते में दर्शा कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत्2075-78, 2070-73, मौका पर्चा बाके ग्राम मुढेरा दिनांक 02.02.2017 एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव एवं तहसीलदार उच्चैन के जबाव के साथ संलग्न पटवार हल्का रिपोर्ट एवं मौका पर्चा बाके ग्राम मुढेरा दिनांक 14.12.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन द्वारा प्रस्तुत जबाव के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 558 रकवा 0.01है0 किस्म गै.मु.बोरिंग नया ख.नं. 1238/562(पुराना ख.नं. 464) किस्म गै.मु.रास्ता में चालू है एवं पूर्व में भी गैर मुमकिन बोरिंग को गैर मुमकिन रास्ते में होना बताया है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार पूर्व रिकार्ड में गै.मु.बोरिंग को गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज होना बताया गया है उक्तानुसार वर्तमान रिकार्ड में गै.मु.बोरिंग को गै.मु.रास्ते में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 558 रकवा 0.01है0 किस्म गै.मु.बोरिंग बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन को पूर्व रिकार्ड के अनुसार नया ख.नं. 1238/562(पुराना ख.नं. 464) किस्म गै.मु.रास्ता में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)